

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवार्ये राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./ (एफ-1142)/2018/

दिनांक :

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
बीकानेर।

विषय:- श्री अजय कुमार शर्मा, लैब टेक्नीशियन के 9 वर्षीय एसीपी स्वीकृत करने
बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 3606-7 दिनांक 16.04.2018 के क्रम में।

जयपुर

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा उक्त कर्मचारी के 9 वर्षीय एसीपी स्वीकृति
हेतु प्रपत्र भिजवाया है के सम्बन्ध में लेख है कि कर्मिक का पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में
उल्लेखित प्रावधानानुसार पुनः निर्धारित चैक लिस्ट तैयार कर एसीआर प्रमाण पत्र के साथ
निदेशालय को भिजवावे ताकि उक्त कर्मिक के प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(डॉ0बी.एल.सैनी-) 2017
संयुक्त निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./ (एफ-1142)/2018/ 471

दिनांक : 01/08/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कोलायत, बीकानेर।
2. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय
वेबसाइट पर अपलोड करें।
3. श्री अजय कुमार शर्मा, लैब टेक्नीशियन को पालनार्थ।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये
राजस्थान, जयपुर